न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 85/10 (223 आर0 टी0 एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2010/00090

उनवान

1. गुलाब सिंह पुत्र मंगला (दौराने अपील फौत)
   1/1. हरप्यारी वेवा स्व0 गुलाब सिंह
   1/2. सुखाराम पुत्र स्व0 गुलाब सिंह
   1/3. रामदयाल पुत्र स्व0 गुलाब सिंह
   1/4. कालुराम पुत्र स्व0 गुलाब सिंह
   1/5. पप्पू सिंह पुत्र स्व0 गुलाब सिंह
   1/6. जयप्रकाश पुत्र स्व0 गुलाब सिंह
   1/7. राकेश कुमार पुत्र स्व0 गुलाब सिंह
   } समस्त जातिगण कुशवाह निवासी ग्राम सत्तर का पुरा तहसील मनियॉ जिला धौलपुर।
   1/8. रामवती पुत्री स्व0 गुलाब सिंह पत्नी निरंजन जाति कुशवाह निवासी ग्रमा दुबरेठा पोस्ट दूरा तहसील किरावली जिला आगरा।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. दामोदर पुत्र सुम्मेरा, जाति कुशवाह निवासी सत्तर का पुरा तहसील मनिया।
2. मुन्नालाल पुत्र सुम्मेरा (फौत)
   2/1. गोविन्दा नाबालिग पुत्र स्व0 मुन्नालाल वसरपस्ती बहिन मल्लोदा
   2/2. मल्लोदा पुत्री स्व0 मुन्नालाल पत्नी विस्सु
   } जाति कुशवाह नि0 ग्राम मृगपुरा, तह0 मुरैना मध्य प्रदेश।
3. वैजन्ती पुत्री सुम्मेरा पत्नी सांमता
4. कलवो पुत्री सुम्मेरा पत्नी भगवान सिंह
5. बीलो पुत्री सुम्मेरा पत्नी कम्मोद सिंह
   } जाति कुशवाह निवासी सरोजपुरा तह0 खैरागढ जिला आगरा।
6. हाकिम पुत्र नत्थी जाति कुशवाह निवासी ग्राम सत्तर का पुरा तहसील मनिया।
7. जगन्नाथ पुत्र खरगजीत (फौत)
   7/1. बृजमोहन
   7/2. रामकुमार
   7/3. सोनदेई
   7/4. सुनीता
   } पिस0 जगन्नाथ
   7/5. रेशमदेई पत्नी मान सिंह
   7/6. राजेश
   7/7. वीरेश
   7/8. ममता
   7/9. सुमन
   } पिस0 मान सिंह
   } जाति कुशवाह नि0 ग्राम सत्तर का पुरा मनिया।
8. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मनियॉ जरिये प्रबंधक।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसील धौलपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर दिनांक 14.10.10 प्र0स0 क्रमशः 152/10 उनवान गुलाब सिंह बनाम दामोदर।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री निशान्त भार्गव उपस्थित।
2. अधिवक्ता रैस्पो0 श्री इन्द्रपाल सिंह जादौन उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 30.07.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.10.10 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट की ओर से विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 एक वाद बाबत बॅटवारा काश्त व हुक्म इम्तनाई दवामी व दुरूस्ती इंद्राज इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी वाके ग्राम डंडौली तहसील धौलपुर के वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार काबिज काश्त हैं। विवादित आराजी का अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः सम्मिलित काश्त करने में पक्षकारो के मध्य आये दिन झगडा फसाद हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बॅटवारा किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई लोक अदालत की भावना से दिनांक 21.12.2009 को प्रारंभिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी के तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलव किये गये एवं प्राप्त विभाजन प्रस्तावो के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.10 से अंतिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनो को दोहराते हुये, कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किये जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं। विभाजन प्रस्ताव तैयारी हेतु वादी अपीलाण्ट को मौके पर उपस्थित होने हेतु कोई नोटिस नहीं दिया गया। यह है कि विवादित आराजी से सटता हुआ खसरा नम्बर 553 सरकारी रास्ता है उक्त सरकारी रास्ता से लगते हुये सभी खसरा नम्बर रैस्पो0 को दे दिये गये हैं। अपीलाण्ट को एक भी खसरा नम्बर नहीं दिया। उक्त सभी बिन्दुओ पर अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति भी प्रस्तुत की गयी थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की आपत्तियॉ को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार प्रकरण में विभाजन के नियम 18–21 की कोई पालना नहीं की गयी है। विभाजन प्रस्तावो पर ना तो अपीलाण्ट एवं ना ही रैस्पो0 के हस्ताक्षर अंकित हैं। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2022(29) पेज 8, 447, 2023(30) पेज 418, आरआरटी 2021(2) पेज 1318 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बनाये गये हैं एवं विभाजन के नियम 18–21 की पालना की गयी है। अपीलाण्ट की अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति खारिज की गयी है। बॅटवारा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का किया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्तावो के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विभाजन प्रस्तावो पर तहसीलदार के हस्ताक्षर तो अंकित है। परन्तु विभाजन प्रस्तावो पर यह अंकन कि श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार धौलपुर एवं नायब तहसीलदार मनियॉ के आदेशो की अनुपालना में वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से के मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव निम्न प्रकार हैं,यह आभास कराता है कि तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गये एवं विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं। जबकि विभाजन के प्रकरणो में स्वयं तहसीलदार को मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना आज्ञापक है। विभाजन प्रस्तावो में किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। दौराने बहस हम अभिभाषक अपीलाण्ट की इस आपत्ति पर भी बल पाते हैं कि खसरा नम्बर 553 जो सरकारी रास्ता है, से लगी हुयी समस्त विवादित आराजी को अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 को दे दिया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में विभाजन के नियम 18–21 की पालना दृष्टिगोचर नहीं होती है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हुये, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वह उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर विवादित आराजी के अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के विभाजन प्रस्ताव तैयार करें एवं अधीनस्थ न्यायालय प्राप्त विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्ष को सुनवाई/आपत्ति का अवसर देते हुये, पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करें।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2010 निरस्त किये जाकर, प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुये, विधि अनुरूप निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारों को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.08.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर